



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

G20

website-msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1564 (A)/721(01)/सम्ब०/MSU/2023-24

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

दिनांक: 25/11/2023

सेवा में,

सचिव,

जे०एस० कॉलेज ऑफ एजुकेशन,

राजपुर छाजपुर,

मुजफ्फरनगर।

महोदय,


कृपया अपने पत्र: दिनांक: 14.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने अपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०ए० (इतिहास) पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को असि०प्रो० पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	Name	Designation	Qualification
01-	Sh. Dhruv Kr. Yadav D.O.B 24-08-97	Astt. Prof. (B.A. History)	M.A. Net-2019

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार उपर्युक्त अभ्यर्थियों को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर महाविद्यालय/ संस्थान में बी०ए० (इतिहास) पाठ्यक्रम में असि०प्रो० पद पर शासन/यू०जी०सी०/एन०सी०टी०ई०/बी०सी०आई०/एम०सी०आई०/एन०सी०आई०/सी०सी०आई०एम०/ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि नियमानुसार चयनित प्राचार्य/शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कार्यभार आख्या एवं अनुबन्ध पत्र की सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय के संज्ञानार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य/शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान/महाविद्यालय में कार्यरत रहेंगे। शिक्षकों के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित शिक्षकों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,


कुलसचिव




माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

G2G

website-msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1564 (A)/721(01)/सम्ब०/MSU/2023-24

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

दिनांक: 25/11/2023

सेवा में,

सचिव,
जे०एस० कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
राजपुर छाजपुर,
मुजफ्फरनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र: दिनांक: 14.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने अपने महाविद्यालय/संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०ए० (इतिहास) पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को असि०प्रो० पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	Name	Designation	Qualification
01-	Sh. Dhruv Kr. Yadav D.O.B 24-08-97	Astt. Prof. (B.A. History)	M.A. Net-2019

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार उपर्युक्त अभ्यर्थियों को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर महाविद्यालय/ संस्थान में बी०ए० (इतिहास) पाठ्यक्रम में असि०प्रो० पद पर शासन/यू०जी०सी०/एन०सी०टी०ई०/बी०सी०आई०/एम०सी०आई०/एन०सी०आई०/सी०सी०आई०एम०/ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि नियमानुसार चयनित प्राचार्य/शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कार्यभार आख्या एवं अनुबन्ध पत्र की सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय के संज्ञानार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य/शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान/महाविद्यालय में कार्यरत रहेंगे। शिक्षकों के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित शिक्षकों के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,


कुलसचिव





माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

website-msuniversity.ac.in

पत्रांक : 1452 / 721(01) / सम्ब० / MSU / 2023-24

Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

सेवा में,

सचिव,
जे०एस० कॉलेज ऑफ एजुकेशन,
राजपुर छाजपुर,
मुजफ्फरनगर।

संशोधित-पत्र

दिनांक: 25/10/2023

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक: 14.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने अपने महाविद्यालय/संस्थान में प्राचार्य एवं स्वयंसेवक पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एस०सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान एवं बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र व गृहविज्ञान) पाठ्यक्रमों पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्राचार्य/असि०प्र० पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	Name	Designation	Qualification
01.	Dr. Deepali Gupta D.O.B 25-12-85	Principal	M.A. Ph.D-2018
02.	Dr. Satish Kumar D.O.B 15-07-77	Astt. Prof. (B.Sc. Physics)	M.Sc. Ph.D-2007
03.	Sh. Nipin Kumar D.O.B 12-02-92	Astt. Prof. (B.Sc. Chem.)	M.Sc. Net-2022
04.	Dr. Rajeev Kumar D.O.B 01-07-82	Astt. Prof. (B.Sc. Maths)	M.Sc. Ph.D-2015
05.	Sh. Mohit Kumar D.O.B 15-10-92	Astt. Prof. (B.Sc. Zoology)	M.Sc. Net-2022
06.	Sh. Yash Veer Singh D.O.B 15-06-93	Astt. Prof. (B.Sc. Botany)	M.Sc. Net-2021
07.	Sh. Susheel Kumar D.O.B 01-03-84	Astt. Prof. (B.A. Hindi)	M.A. Net-2018
08.	Dr. Arun Kumar D.O.B 02-02-93	Astt. Prof. (B.A. English)	M.A. Ph.D-2022
09.	Sh. Rushid Ali D.O.B 15-08-95	Astt. Prof. (B.A. Sociology)	M.A. Net-2019
10.	Ms. Pooja Chouhan D.O.B 01-03-84	Astt. Prof. (B.A. H.Sc)	M.Sc. Net-2021

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार उपर्युक्त अभ्यर्थियों को चयन समिति की संरक्षित के आधार पर महाविद्यालय/संस्थान में प्राचार्य एवं बी०एस०सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान एवं बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र व गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम में असि०प्र० पद पर शारीर/यू०जी०सी०/ए०सी०टी०डी०/बी०सी०टी०डी०/टी०सी०आई०/एम०सी०आई०/ए०सी०आई०/सी०सी०आई०एम०/ए०आई०सी०टी०डी० के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि नियमानुसार चयनित प्राचार्य/शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कार्यभार आख्या एवं अनुवचन पत्र की संस्थापित प्रति विश्वविद्यालय के सक्षानार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य/शिक्षकों की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में मिलनमतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान/महाविद्यालय में कार्यरत रहेंगे। शिक्षकों के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित शिक्षकों को अनिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।



भवदीय,
[Signature]